न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 116/2018

1 श्रीमती गीता पुत्री रूड़ाराम।
2 श्रीमती सरस्वती पुत्री रूड़ाराम।
3 श्रीमती कमला पुत्री रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुंआ डागियों की ढाणी तन मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 श्रीमती श्रवणी पुत्री रूड़ाराम।
5 श्रीमती अणची पुत्री रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण सामोता की ढाणी तन कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 किशोर सिंह पुत्र बहादूरमल।
2 ग्यारसी लाल पुत्र बहादूरमल।
3 मादूराम पुत्र बहादूरमल।
4 हेमराज पुत्र बहादूरमल।
5 कैलाश पुत्र बहादूरमल।
6 बीरबल पुत्र बहादूरमल समस्त जाति जाट निवासीगण कुंआ डागियों का कोटड़ा रोड़ चक चारावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर।
8 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
9 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक
04.06.2018 अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
बउनवानी दावा किशोर सिंह बनाम ग्यारसी लाल आदि
दावा संख्या 307/2016 अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर सूण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्याम सुन्दर पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 307/2016 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 वादी ने विचारण न्यायालय में दावा घोषणा विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 161,164,138,139,140 वाके ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना, जवाब प्राप्त किये बिना

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है तहसीलदार द्वारा काउन्टर हस्ताक्षर किये गये है। यह कार्यवाही नियम 18 से 21 के पूर्णतया विरूद्व है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी अपीलांट को सूचित नही किया गया। ऐसे विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भतः शून्य है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर है देरी का कारण स्पष्ट नही है। मौका रिपोर्ट पटवारी/आई.एल.आर. राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है। मौके पर ही तहसीलदार ने सही मानकर प्रति हस्ताक्षर किये है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के हिस्से अनुसार ही विभाजन किया गया है। खसरा नम्बर 161 व 164 में ही अपीलांट खातेदार है जबकि अपीलांट ने पूरी डिक्री को ही चुनौती दे दी है। अपीलांट जानबुझकर प्रकरण को लम्बित रखना चाहते है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब को कन्डोन करने का आवेदन प्रस्तुत किया है अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.06.2018 को बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की है। तहसीलदार व पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपीलांट को कोई सूचना नही दी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये है जिस पर

प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर है अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules, 1955 - Rule 18 to 21 - Rajasthan Tenancy Act, 1955 -Sec. 53 - Decree for partition - Reference - Whether the preparation of proposal for division of land by the Tehsildar is mandatory or he may delegate the powers - Held, Rule 18 to 21 are of mandatory nature & Tehsildar himself is required to inspect the site & prepare the proposals.

उपरोक्त विवेचन एंव न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियम 18 से 21 की पालना में स्वंय तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जावें तदूपरान्त उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर